मु० 61/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रेमसिंह बनाम तहसीलदार	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
5/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 12/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० अभि० वादी ने PW-1 प्रेमसिंह, PW-2 लीलाराम के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किए। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी शेष दिनांक 27/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० शेष साक्ष्य वादी पेश नहीं करना चाहते साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3/6/25	पत्रावली पेश हुई। अभि०वादी उप०। एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
12/6/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप०। वादपत्र वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। मय पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार हो नक्शे से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 61/2024

1. प्रेमसिंह
2. निरंजन
3. भरतसिंह पुत्रान श्याम सुन्दर जाति जाट निवासी दौलतगढ जिला भरतपुर।
4. माया पत्नि श्यामसुन्दर
5. शारदा
6. ऊषा पुत्री श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी दौलतगढ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।
2. खरगा पुत्र रूपसिंह
3. रघुवीर
4. लेखराज
5. ओमप्रकाश
6. सीताराम
7. सुन्दरसिंह पुत्रान विजेन्दर सिंह जाति जाट निवासी दौलतगढ तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—12.06.2025**

वादिनी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 7 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1112/102/5.00, 1314/728/0.15 वाके ग्राम दौलतगढ तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी हम वादीगण के बाबा रूपसिंह की छोडी हुई आराजी है। राजस्व रिकार्ड में विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय हम वादीगण के पिता के स्थान पर हमारे बाबा मृतक रूपसिंह का नाम दर्ज कर दिया था। हम वादीगण अपने पिता श्यामसुन्दर की मृत्यू उपरान्त जब राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तरण दर्ज कराने हल्का पटवारी के पास आये तो हल्का पटवारी से साफ इन्कार कर दिया एवं और कहा कि तुम्हारे पिता के नाम के सामने जमाबंदी में श्यामसुन्दर

उपखण्ड अधिकारी,
उच्चैन (भरतपुर)

पुत्र गोपी के स्थान पर श्यामसुन्दर पुत्र रूपसिंह दर्ज है। उक्त की शुद्धि हेतु जब वादीगण तहसीलदार के पास गये तो तहसीलदार के द्वारा समक्ष न्यायालय से आदेश लाने को कहा तहसीलदार के द्वारा दिनांक 02.08.2018 को दी गई धमकी के कारण वादकारण पैदा हुआ है वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में श्यामसुन्दर पुत्र गोपी किया जाने का निवेदन किया है।

प्ररकण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 7 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं होने के कारण दिनांक 06. 08.2024 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 1106/0.12है0, 297/0.80है0 किता 2 रकवा 0.90है0 में हि. 1/5 तथा खाता सं0 36 खसरा नम्बर 703/0.12है0 में हि. 1/20 श्यामसुन्दर पुत्र रूपसिंह कौम जाट नि. दौलतगढ खातेदार है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के बाबा मृतक रूपसिंह की छोड़ी हुई आराजी है। उक्त आराजी ग्राम दौलतगढ में नामा. सं. 299 किस्म विरासत रूपसिंह पुत्र लटूर कौम जाट नि. दौलतगढ की विरासत से प्राप्त आराजी है जिसमें वादीगण प्रेमसिंह वगै. के पिता श्यामसुन्दर के पिता का नाम रूपसिंह है। जबकि मौका जांच दिनांक 16.11.2024 वाके ग्राम दौलतगढ के अनुसार श्यामसुन्दर(मृतक) के पिता का नाम गोपी है। रूपसिंह(मृतक), श्यामसुन्दर के बाबा का नाम है अर्थात् ग्राम दौलतगढ के नामा. सं. 299 में मृतक श्यामसुन्दर के पिता गोपी(मृत) के स्थान पर बाबा का नाम रूपसिंह दर्ज है। श्यामसुन्दर के पिता का नाम रूपसिंह के स्थान पर श्यामसुन्दर पुत्र गोपी कौम जाट नि. दौलतगढ किया जाना उचित है। वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र के सर्मथन में प्रेमसिंह पुत्र श्यामसुन्दर एवं लेखराज पुत्र विजेन्द्र के शपथ पत्र पेश किये है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी ग्राम दौतलगढ में स्थित है। वादीगण के पिता श्यामसुन्दर के नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय वादीगण के पिता श्यामसुन्दर के पिता का नाम गोपी के स्थान पर रूपसिंह दर्ज कर दिया है। वादीगण के पिता श्यामसुन्दर के पिता का नाम रूपसिंह के स्थान पर गोपी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत वारहमाफी द्वारा प्रमाणित किया गया सजरा प्रमाण पत्र, तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा वादीगण के पिता श्यामसुन्दर के पिता का गोपी बताया गया है। राजस्व रिकार्ड में श्यामसुन्दर पुत्र रूपसिंह के स्थान पर श्यामसुन्दर पुत्र गोपी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

—:अतः आदेश हैः—

वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिये जाता हैं कि हाल खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 1106/0.12है0, 297/0.80है0 किता 2 रकवा 0.90हैं0 में हि. 1/5 तथा खाता सं0 36 खसरा नम्बर 703/0.12है0 में हि. 1/20 में श्यामसुन्दर पुत्र रूपसिंह को कलमजन कर सही नाम श्यामसुन्दर पुत्र गोपी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S)

प्रेमसिंह बनाम तहसीलदार

दावा बाबत धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 61/2024 (66/2018) सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड० मिनजानिब

मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता

है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादीगण डिक्री किया जाता। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि हाल खाता सं० 35 खसरा नं० 1106/0.12 है, 297/0.80 है० तथा खाता सं० 36 खसरा 703/0.12 है के कि 1/2 के श्यामसुन्दर पुत्र दयाचन्द की कब्जाशुदा का नाम हटाकर नाम श्यामसुन्दर पुत्र गोपी वगैरह का रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज .... मुवलिग .... बावत ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 06 वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सवृत			महनताना वकील)पर..........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीसं कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 61/2024

1. प्रेमसिंह
2. निरंजन
3. भरतसिंह पुत्रान श्याम सुन्दर जाति जाट निवासी दौलतगढ जिला भरतपुर।
4. माया पत्नि श्यामसुन्दर
5. शारदा
6. ऊषा पुत्री श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी दौलतगढ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।
2. खरगा पुत्र रूपसिंह
3. रघुवीर
4. लेखराज
5. ओमप्रकाश
6. सीताराम
7. सुन्दरसिंह पुत्रान विजेन्दर सिंह जाति जाट निवासी दौलतगढ तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)